भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 558**

उत्तर देने की तारीख : 03.12.2025

**प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम-विकास) योजना**

**558. श्री पी. पी. चौधरी:**
**सुश्री कंगना रनौत:**
**श्री नव चरण माझी:**
**श्री बिभु प्रसाद तराई:**

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अल्पसंख्यक युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम-विकास) योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ख) नामांकित दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) की संख्या कितनी है और उनके समावेशन और पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय अपनाए गए हैं;

(ग) उद्योग लिंकेज और प्रशिक्षुता के अवसरों को मजबूत करने के लिए राज्य सरकारों के साथ हस्ताक्षरित साझेदारियों और समझौता ज्ञापनों (एमओयू) की प्रकृति क्या है; और

(घ) विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के पाली लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में अब तक पीएम-विकास योजना के अंतर्गत नामांकित लाभार्थियों की नौकरी के प्रकार और क्षेत्र के अनुसार, श्रेणी-वार कुल संख्या कितनी है?

**उत्तर**

**अल्पसंख्यक कार्य मंत्री**
**(श्री किरेन रीजीजू)**

(क) प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो कौशल विकास; अल्पसंख्यक महिलाओं में उद्यमशीलता; और स्कूल ड्रॉपआउट के लिए शिक्षा सहायता के माध्यम से छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण पर केंद्रित है।

प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास) योजना के मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना है, जोकि निम्नवत है:

i. अल्पसंख्यक समुदायों को आवश्यकता आधारित पाठ्यक्रमों में कौशल प्रशिक्षण सहायता प्रदान करके और रोजगार/आजीविका के अवसर सुनिश्चित करके लक्षित व्यवस्थाओं के माध्यम से उनकी क्षमता का निर्माण करना।

ii. साहित्य/दस्तावेजों/पांडुलिपियों के प्रसार और उनकी अनूठी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (आईसीएच) के प्रस्तुतीकरण द्वारा पारंपरिक कलाओं और शिल्प रूपों सहित सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और बढ़ावा देना।

iii. अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं को नेतृत्व और उद्यमशीलता संबंधी प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करके उनमें आत्मविश्वास पैदा करना तथा उन्हें सशक्त बनाना।

iv. बाजार और ऋण लिंकेज के माध्यम से अल्पसंख्यकों के लिए रोजगार क्षमता में सुधार करना और बेहतर आजीविका के अवसर पैदा करना।

(ख): इस योजना को हाल ही में शुरू किया गया है और योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना के सभी घटकों में कुल सीटों का 3 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए आरक्षित है।

(ग): पीएम विकास योजना के तहत, कार्यान्वयन एजेंसियों को योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार अभ्यर्थियों का प्लेसमेंट सुनिश्चित करना आवश्यक है तथा यह उन समझौता ज्ञापनों का एक हिस्सा है, जिन पर मंत्रालय और कार्यान्वयन एजेंसियां हस्ताक्षर करती हैं। गैर-पारंपरिक (आधुनिक) कौशल के तहत, पीआईए को कम से कम 75 प्रतिशत कुशल लाभार्थियों की किसी भी प्रकार के रोजगार (मजदूरी/स्वरोजगार/प्रशिक्षुता) में नियुक्ति सुनिश्चित करना आवश्यक है, जिनमें से कम से कम 50 प्रतिशत संगठित क्षेत्र में रखे जाने चाहिए, जैसाकि राष्ट्रीय कौशल गुणवत्ता फ्रेमवर्क (एनएसक्यूएफ)/सामान्य लागत मानदण्ड (सीसीएन) में वर्गीकृत किया गया है।

(घ): पीएम विकास योजना के तहत राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता है, बल्कि विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को परियोजनाएं आवंटित की जाती हैं। हालांकि, अब तक विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को किए गए परियोजनाओं के आवंटन के अनुसार, हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए कोई लक्ष्य आवंटित नहीं किया गया है। इसके अलावा, राजस्थान में पारंपरिक और गैर-पारंपरिक घटक में लगभग 2,560 लाभार्थियों के लक्ष्य के लिए आवंटन पत्र जारी किए गए हैं। घटक-वार, रोजगार-भूमिका-वार और क्षेत्र-वार विभाजन (अब तक) अनुबंध 1 में दिया गया है।।

*****

**अनुबंध 1**

'पीएम-विकास योजना' विषय पर श्री पी. पी. चौधरी, सुश्री कंगना रनौत, श्री नव चरण माझी और श्री बिभु प्रसाद तराई द्वारा पूछे गए तथा दिनांक 03.12.2025 को उत्तर दिए जाने हेतु लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 558 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

**राजस्थान में PM VIKAS के तहत आबंटित लक्ष्य का रोजगार भूमिका और क्षेत्र-वार विभाजन**

| क्र.सं. | घटक | क्षेत्र | रोजगार भूमिका | लक्ष्यों का योग |
|---|---|---|---|---|
| 1 | गैर-पारंपरिक कौशल | दूरसंचार | ब्रॉडबैंड नेटवर्क टेक्नीशियन | 120 |
| 2 | गैर-पारंपरिक कौशल | दूरसंचार | वायरलेस नेटवर्क टेक्नीशियन | 120 |
| 3 | गैर-पारंपरिक कौशल | प्लंबिंग | टेक्नीशियन - वॉटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (मल्टी-स्किल) | 70 |
| 4 | गैर-पारंपरिक कौशल | प्लंबिंग | प्लंबर - जनरल | 180 |
| 5 | गैर-पारंपरिक कौशल | प्लंबिंग | जूनियर टेक्नीशियन - स्मार्ट मीटर | 500 |
| 6 | गैर-पारंपरिक कौशल | प्लंबिंग | इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन | 500 |
| 7 | गैर-पारंपरिक कौशल | इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर | मल्टी स्किल टेक्नीशियन - कंज्यूमर ड्यूरेबल्स | 140 |
| 8 | गैर-पारंपरिक कौशल | ग्रीन जॉब्स | सोलर फोटोवोल्टिक उद्यमी | 130 |
| 9 | पारंपरिक कौशल | हस्तशिल्प और कालीन | पारंपरिक हस्त कढ़ाईदार | 400 |
| 10 | पारंपरिक कौशल | हस्तशिल्प और कालीन | हैंड स्पिनिंग ऑपरेटर | 130 |
| 11 | गैर-पारंपरिक कौशल | सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र | A.I (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) - टेक्नोक्रेट | 120 |
| 12 | पारंपरिक कौशल | हस्तशिल्प और कालीन | कार्पेट वीवर | 30 |
| 13 | गैर-पारंपरिक कौशल | खाद्य उद्योग | मल्टीस्किल टेक्नीशियन (फूड प्रोसेसिंग) | 60 |
| 14 | गैर-पारंपरिक कौशल | लॉजिस्टिक्स | वेयरहाऊस एसोसिएट | 60 |
| **कुल योग** | | | | **2560** |

*****